

मानवाधिकार खातरि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त सबहिके लेल मानवाधिकार मानवाधिकार घोषणा के पचासवां वर्षगांठ

1948 . 1998

10 दसिंबर, 1948 के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाएल गेल आओर घोषित मानवाधिकार

प्राक्कथन

सबहिके ओकर उचित सम्मान आओर मानव परिवार के सभे आदमी के बराबरी के हक ही विश्व समुदाय के अजादी, न्याय आओर शांतिके बुनियाद हवे।

मानवाधिकार के उल्लंघन हरदम अमानवीय काज के कारणो होखेला जा के चलते मानवता के अंतःकरण दुःखी होखेला। एक आम आदमी के सबसे बड़ा इच्छा इहे होखेला कि दुनिया में ओके भाषण और वचिर के आजादी मलि साथ हिंडर आओर इच्छा से हो मुक्तिमलि।

यदि केहु तानाशाही चाहे दमन के खिलाफ अंतमि हथियार के रूप में बगावत करे खातरि मजबूर ना होए, त ओकरा खातरि कानून के मार्फत ओकर मानवाधिकार के बचावे के इंतजाम होबे के चाही। इहो जरूरी हवे कि राष्ट्र सब के बीच दोस्ती बढ़ाएल जाए।

संयुक्त राष्ट्र के लोगनि आपन चार्टर में मौलिक मानवाधिकार, मानव के सम्मान आओर उपयोगिता तथा आदमी आओर औरत के बराबर अधिकार खातरि आपन विश्वास जतौलन हउ। साथहिई लोगनि स्वतंत्रता के माहौल में सामाजिक प्रगतितथा जीवन के स्तर के बढ़ावे के भी दृढ़ नश्चय कएलन ह।

साथ ही सदस्य राष्ट्र सब संयुक्त राष्ट्र के मदद से मानवाधिकार आओर मौलिक स्वतंत्रता खातरि लोगनि में मान बढ़ावे के भी संकल्प लेलन ह।

ओही खातरि ए संकल्प के पूरा करे के खतरि ई सब अधिकार आओर स्वतंत्रता के समझ सबसे जरूरी बा।

अब, एही खातरि महासभा ई ऐलान करता कि मानवाधिकार के ई घोषणा के सभे लोग आओर सभे राष्ट्र पालन करे। सभे व्यक्ति आओर समाज के सब अंग हरदम इ घोषणा के आपन दमिग में रखे। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र के लोगनि के बीच चाहे हुनी के अधिकार क्षेत्रा में रहे वाला लोगन के बीच प्रगतशिली कदम या शक्ति के जरिए इ अधिकार और स्वतंत्रता के प्रतिमान जगाएल जाए।

अनुच्छेद 1

सबहिलोकानि आजादे जम्मेला आओर ओखनियी के बराबर सम्मान आओर अधिकार प्राप्त हवे। ओखनियी के पास समझ-बूझ आओर अंतःकरण के आवाज होखता आओर हुनको के दोसरा के साथ भाईचारा के बेवहार करे के होखला।

अनुच्छेद 2

बना कोनो जाति, रंग, लंगि, भाषा, धर्म, राजनीतिक आओर दोसर मान्यता, राष्ट्रीयता चाहे सामाजिक मूल, धन-संपत्ति, जन्म वा दोसर स्थितिके भेदभाव के सभे कोई घोषणा में लिखिल अधिकार आओर आजादी के हकदार होई।

एतबे ना कौनो देश मुलकि या क्षेत्रा के राजनीतिक न्यायिक आओर अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिके आधार पर केहु के संग भेदभाव नइखे कएल जा सकेला। चाहे ओ कौनो स्वतंत्रा, टर्स्ट चाहे स्वायत्ताता के कौनो मानदंड के अंतर्गत आवे वाला संस्था के सदस्य हो।

अनुच्छेद 3

सबहिके जीवन जीए के आजादी आओर अपन सुरक्षा के अधिकार हवे।

अनुच्छेद 4

केहु के गुलाम बना के नइखे राखल जा सकेला। कौनो रूप में गुलामी आओर गुलाम सब के व्यापार पर सख्त पाबंदी हवे।

अनुच्छेद 5

काहु के साथ घर, अमानवीय चाहे घृणति बेवहार नइखे कईल जा सकेला। काहु के न तो सतावल जा सकेला आओर न सजा देल जा सकेला।

अनुच्छेद 6

कानून के सामने सबहके सभे जगह एके आदमी के रूप में पहचाने जाए के अधिकार ह।

अनुच्छेद 7

कानून के सामने सभे बराबर हवे आओर कानून से बनि कौनो भेदभाव के समान संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार मिलल हवे। साथहिए घोषणा के उल्लंघन या भेदभाव होए की स्थिति में सबहके समान संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार ह।

अनुच्छेद 8

संवधान या कानून से मिलल मौलिक अधिकार के उल्लंघन भइला पर सबहके कोनों योग्य राष्ट्रीय संगठन से क्षतिपूर्ति प्राप्त करे के अधिकार बा।

अनुच्छेद 9

केहु के बनि कोनो कारण के कैद, अज्ञातवास या देशनकाला नइखे देल जा सकेला।

अनुच्छेद 10

केहु के खिलाफ अपराधिक मामला होखे चाहे केकरो अधिकार और कर्तव्य के निर्धारण के सलिसला में कौनो स्वतंत्रता आओर नष्पिक्ष संगठन के सामने नष्पिक्ष सुनवाई खातिर समान अधिकार हवे।

अनुच्छेद 11

कानून के नजर में जब तक ले केहु दोषी नइखे तब तक ले ओके निर्दोष समझे के चाही। चाहे ओकरा के खिलाफ कौनो अपराधिक मामला ही काहे ना चल रहल होए। इ सुनवाई के दरम्यान आपन बचाव के लेल ओकरा पूरा-पूरा हक भी मिलल बा।

कौनो राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर कौनो काम के दंडनीय अपराध नइखे मानल जा रहल होखे तब कौनो आदमी के ओ काम के खातिर दोषी नइखे कहल जा सकता।

अनुच्छेद 12

केकरो निजीजीवन, परिवार, घर तथा पत्राचार आदि में केकरो दखल करे के अधिकार नईखे ह। सबहके ए तरह के दखल आओर हमला के वरिष्कानून से संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार ह।

अनुच्छेद 13

सभे लोगनि के आपन मुलुक के सीमा के अंदर घर आओर एक जगह से दोसर जगह जाए के अधिकार ह।

सबहके कौनो देश, एइजा तक कि आपन देश से हो छोड़े के आओर वापस आवे के अधिकार ह।

अनुच्छेद 14

प्रताड़ना से बचे खातिर दोसर देश में संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार हवे।

लेकिन इ अधिकार के उपयोग वैसेन प्रताड़ना में नइखे कईल जा सकेला जे गैर राजनीतिक अपराध आओर

संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य आओर सधित के खिलाफ कईल गेल काज खातरि मलि रहल होखे।

अनुच्छेद 15

सबहके राष्ट्रियता के अधिकार हवे।

केहु के राष्ट्रियता से वंचति नइखे कई जा सकेला आओर ना ही राष्ट्रियता बदले के स्थितिमें अधिकारो से बेदखल कईल जा सकेला।

अनुच्छेद 16

जाति, राष्ट्रियता आओर धर्म के बंधन से मुक्त कौनो बालगि आदमी आओर औरत के बियाह आओर गृहस्थी बसावे के अधिकार हवे। दुनू के बियाह के समय, गृहस्थ जीवन के दरम्यान आओर बियाह टूट जाए के बादो बराबरी के अधिकार ह।

बियाह दुनू के मर्जी आओर सहमतिसे ही होए के चाही।

परिवार समाज के एगो प्राकृतिक और मौलिक इकाई ह। आओर ओके समाज और मुलुक से पूरा संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार हवे।

अनुच्छेद 17

केहु अकेले चाहे केकरो संगे मलि के संपत्ति अर्जति कर सकता।

केहु के ओकर संपत्तिसे बेदखल नइखे कईल जा सकत ह।

अनुच्छेद 18

सब लोगनके सोचे के आओर कौनो धर्म अपनावे के अधिकार हवे तथा ओ आपन धर्म और मान्यता में भी बदलाव ला सकेला। संगे ओ अकेले आओर समूह में कौनो सार्वजनिक या निजी जगह पर आपन धर्म या विश्वास के पालन, प्रवचन आओर पूजा-पाठ के जरिए कर सकेला।

अनुच्छेद 19

सबहके वचार आओर अभिव्यक्ति के अधिकार हवे। आओर ओकर ई वचार में कौनो दखल ना हो सकता, संगे ओ संचार के कौनो साधन के जरिए कही से कैसनो सूचना आओर वचार प्राप्त कर सकेला।

अनुच्छेद 20

सबहके शांतिपूर्ण तरीका से जमा होवे के तथा कोनो संगठन में शामिल होए के अधिकारी ह।

तथा केहु के कौनो संगठन में जबरदस्ती शामिल नइखे कराएल जा सकेला।

अनुच्छेद 21

सब लोगीन के सरकार में हिस्सा लेवे के अधिकार हवे न त सीधे-सीधे न त आपन मर्जी से चुनल प्रतिनिधि के माफत आपन देश के जन सेवा के उपयोग करे के अधिकार हवे।

आम लोगीन के इच्छा ही सरकार के ताकत के आधार होखेला आओर इ जब-तब होए वाला स्वतंत्रता आओर नष्टिपक्ष चुनाव के जरिए, जेकर आयोजन गुप्त मतदान या फेर स्वतंत्रता प्रघासे होखता।

[missing?]

अनुच्छेद 22

समाज के हरेक आदमी के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हवे। साथहि देश के आर्थिक, सामाजिक आओर सांस्कृतिक अधिकार के उपयोग करे के अधिकार ह, जे ओकर व्यक्ति के उपयोग राष्ट्रीय प्रयास आओर

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव हो सकेला जे ओ राष्ट्र के संसाधन ओओर संगठन पर नर्भर करता।

अनुच्छेद 23

सबहके काम करे के तथा रोजगार चुने के अधिकारो बा और बिरोजगारी से ओकर सुरक्षा के गारंटी ओ होखे के चाहीं। इ न्यायसंगत तथा सुवर्धितजनक परस्थितियों में काम करे के अधिकार बा।

बना कौनो भेदभाव के समान काज के लेल समान पैसा के अधिकार ह।

सबे जे काम करता ओकरा आपन तथा परिवार खातिर एगो न्यायसंगत आओर उचित पैसा पावे के अधिकार ह जेकरा से घू सम्मानजनक जदिगी बसर क सके। एकर अलावे सामाजिक संरक्षण के ओ साधन के उपयोग के ओ अधिकार बा जे ओकर कमाई बढ़ा सके।

एकरा सवा आपन हति के सुरक्षा के खातिर मजदूर संगठन बनावे अथवा मजदूर संगठन में शामिल होखे के अधिकार बा।

अनुच्छेद 24

सबकरा के आराम तथा छुट्टी मनावे के अधिकार बा तथा काज करे के समय के सेहो एक उचित सीमा बा तथा समय-समय पर वेतन सहित छुट्टी के उपभोग करे के अधिकारो बा।

अनुच्छेद 25

सबहके आपन तथा आपन परिवार के स्वास्थ्य आओर कुशलता खातिर एक उचित स्तर पर जीवन-यापन के ठीक-ठीक इंतजाम होखे के चाहीं। बढ़िया जीवन-स्तर होखे खातिर ओकनके भोजन, कपड़ा, घर, उचित इलाज आओर आवश्यक सामाजिक सेवा ओ शामिल ह।

एकरा अलावे बेरोजगारी, बमिारी, अपंगता, वैधव्य, बुढ़ारी एवं ऐसन हालत जे पर ओकर नियंत्रण नइखे, ओ से ओकरा सुरक्षा पावे के अधिकार ह। औरत और बच्चा के अलगे सुवर्धित आओर सहायता पावे के अधिकार बा। सबहके बचन के चाहे ओकर जन्म कानूनी बरिाह के अन्तर्गत भईल हो चाहे बना बरिाह के, सामाजिक सुरक्षा मलि के चाहीं।

अनुच्छेद 26

सबे के शिक्षा प्राप्त करे के अधिकार बा, कम से कम प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा तड मुफ्त होखे के चाहीं। तकनीकी आओर व्यवसायिक शिक्षा सबहु के मलि तथा योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा पर सबे के अधिकार ह।

शिक्षा आदमी के व्यक्तिगत विकास में सहायक होखे के चाहीं तथा ऐसन होखे के चाहीं जे लोगिन के मन में मानवाधिकार आओर बुनियादी स्वतंत्रता के प्रतिमान के भावना के मजबूत करे। शिक्षा सबे देश, जाति आओर धार्मिक समूह के बीच आपसी समझ-बूझ, सहनशीलता तथा भाइचारा और शांति के स्थापना खातिर संयुक्त राष्ट्र के गतिविधिके बढ़ावे में भी सहायक होखे।

माई-बाप लोगनके आपन बच्चा खातिर सही शिक्षा चुने के अधिकार ह। अधिकार ह।

अनुच्छेद 27

सबहके आपन समाज के सांस्कृतिक कार्यघ में हस्ति लेवे के तथा कला के आनंद उठावे के अधिकार बा संगे वैज्ञानिक प्रगति में भगीदार बने तथा फायदा उठावे के अधिकार बा।

सबहलोकनके आपन वैज्ञानिक, साहित्यिक आओर कलात्मक कृति जे छलखिले बा, के नैतिक आओर भैतिक हति के संरक्षण के अधिकार बा।

अनुच्छेद 28

सबहके इ घोषणा में नर्धारित अधिकार आओर आजादी के सामाजिक आओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पावे के अधिकार बा।

अनुच्छेद 29

सभे के आपन समुदाय के प्रतिकर्षक ह। जेकरा पूरा करे के बाद ही ओकर स्वतंत्रता और संपूर्ण विकास संभव हवे।

आपन अधिकार आओर आजादी के उपयोग कानून के सीमा के भीतर ही होखे के चाही ताकि हम दोसर के अधिकार और आजादी के भी उचित आदर कर सकी।

एहि से एगो लोकतांत्रिक समाज में नैतिक, कानून और व्यवस्था और जन कल्याण के जरूरत के हम पूरा कर सकेली।

अनुच्छेद 30

ई घोषणा में लिखल कौनो अनुच्छेद के मतलब इ ना ह कि कौनो राज्य, समूह चाहे व्यक्ति कौनो ऐसन काज में शामिल होखे चाहे कौनो ऐसन काम करे, जेकरा से ए में लिखल अधिकार और स्वतंत्रता नष्ट होखे।